

मध्य प्रदेश शासन  
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति  
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, भूतल, वाएं विंग, श्यामला हिल, भोपाल-482002

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2680461, ई-मेल : afrcmp@gmail.com

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/५१०

दिनांक - 24/3/17

प्रति,

आयुक्त,  
चिकित्सा शिक्षा,  
सतपुड़ा भवन,  
भोपाल।

- विषय- एम.डी./एम.एस., एम.डी.एस. एवं डी.एम. (एम.सीएच.) पाठ्यक्रम की शुल्क विनियमन करने के संबंध में।  
संदर्भ- 1. कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 746 /4/पीजी/सचिशि/2017 दिनांक 21.03.17  
2. कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 685 /4/पीजी/सचिशि/2017 दिनांक 18.03.17

\*\*\*

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित एम.डी./एम.एस., एम.डी.एस. एवं डी.एम. (एम.सीएच.) पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र 2017-18 के लिये किये गये शुल्क विनियमन की जानकारी परिशिष्ट-1 एवं 2 में संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। ऐच्छिक मदों में समिति द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की जानकारी भी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/५११

प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

NK-Sharma  
24/3/17

(डॉ. एन.के. शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

दिनांक- 24/3/17

NK-Sharma  
24/3/17

(डॉ. एन.के. शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

**Chargeable Fee Regulated by AFRC  
Course PG (MD/MS, DM/M.Ch.)**

| S.No. | College Name  | Course                       | Fee Regulated for session 2017-18 | Caution Money |
|-------|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1     | Chirayu Medical College & Hospital, Bhopal          | PG (MD/MS)<br>(Non Clinical) | 950000.00                         | 25000.00      |
| 2     | R.D. Gardi Medical College, Ujjain                  | PG (MD/MS)<br>(Clinical)     | 980000.00                         | 25000.00      |
|       |   | PG (MD/MS)<br>(Non Clinical) | 700000.00                         |               |
| 3     | Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Indore | PG (MD/MS)<br>(Clinical)     | 990000.00                         | 25000.00      |
|       |   | PG (MD/MS)<br>(Non Clinical) | 580000.00                         |               |
|       |   | PG (DM/M.Ch.)                | 1024000.00                        | 25000.00      |

**Chargeable Fee Regulated by AFRC****Course PG (MDS)**

| S.No. | College Name  | Course   | Fee Regulated for session 2017-18 | Caution Money |
|-------|---|----------|-----------------------------------|---------------|
| 1     | Bhabha College of Dental Science, Bhopal                      | PG (MDS) | 440000.00                         | 25000.00      |
| 2     | College of Dental Science Hospital, Indore                    | PG (MDS) | 495000.00                         | 25000.00      |
| 3     | Hitkarini Dental College & Hospital, Jabalpur                 | PG (MDS) | 440000.00                         | 25000.00      |
| 4     | Maharana Pratap College of Dentistry Research Centre, Gwalior | PG (MDS) | 495000.00                         | 25000.00      |
| 5     | Mansarovar Dental College, Bhopal                             | PG (MDS) | 495000.00                         | 25000.00      |
| 6     | Modern Dental College & Research Centre, Indore               | PG (MDS) | 495000.00                         | 25000.00      |
| 7     | Rishiraj College of Dental Science Research Centre, Bhopal    | PG (MDS) | 495000.00                         | 25000.00      |
| 8     | Sri Aurobindo College of Dentistry, Indore                    | PG (MDS) | 440000.00                         | 25000.00      |



Phone: (0755) 2490322  
Web: mpnrva.in  
Email: sec.mppurc@gmail.com

# मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

(मध्यप्रदेश शासन)

भोपाल (म.प्र.)

पत्र क्रमांक 797/4 म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल

दिनांक 24/03/2017

प्रति,

संचालक,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय:- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अगामी ब्लॉक अर्थात् 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के शुल्क विनियमन बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 797 /4/पीजी/सं.चि.शि./2017 दिनांक 24.03.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि, आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु की गई शुल्क समीक्षा की जानकारी संलग्न हैं।

आयोग द्वारा ब्लॉक 2017-18 आदि के लिये अदिनांक तक शुल्क समीक्षा नहीं की गई हैं।

सहायक प्रशासनिक /सचिव



# मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

(मध्यप्रदेश शासन)

भोपाल (म.प्र.)

कमांक 399/म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग,

भोपाल

दिनांक 02/4/2017

प्रति,

संचालक,  
चिकित्सा शिक्षा  
भोपाल(म.प्र.).

विषय— स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी गैर अनुदान प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों के अगामी ब्लॉक अर्थात् 2017-18 एवं 2019-2020 के शुल्क विनियमन बाबत।

- संदर्भ—1. आपका पत्र कमांक 797/4/पीजी/सं.चि.शि./2017दिनांक 24.03.2017  
2. आयोग का पत्र 324 दिनांक 24/3/2017

डॉ. शशि गांधी, संयुक्त संचालक के विशेष संदर्भ हेतु।

आज दिनांक को आयोग के अध्यक्ष महोदय से हुई चर्चा के तारतम्य में अवगत कराया जाता है कि, आयोग द्वारा चिकित्सकीय पाठ्यक्रम शुल्कों का निर्धारण इस वर्ष नहीं किया गया, क्योंकि चिकित्सा शुल्क से संबंधित कतिपय विश्वविद्यालय की अपील लंबित हैं।

कासंश्लिंग में शुल्क से छात्रों से एक 'अंडरटेकिंग' शुल्क बढ़ने अथवा कम होने के संबंध में लेने का कष्ट करें।

सदस्य प्रशासनिक / सचिव

# मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मध्यप्रदेश शासन

भोपाल (म.प्र.)

क्र. कमांक : S-7411/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल,  
प्रति,

दिनांक : 25/5/2015

कुलसचिव  
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय  
(आर.के.डी.एफ. मेडिकल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर)  
वृन्दावन गार्डन के पीछे, एन.एच.-12, होशंगाबाद  
रोड, जाटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.) - 462047

विषय:- वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा।  
सन्दर्भ:- आपका पत्र कमांक 375 दिनांक 19.4.2016

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव तथा उसमें उल्लिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित की गई। तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित की गई। तदानुसार सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

| सं. क्र. | पाठ्यक्रम                | पाठ्यक्रम शुल्क | विकास शुल्क | योग      |
|----------|--------------------------|-----------------|-------------|----------|
| 1        | B.Pharmacy               | 47,800          | 8,400       | 56,000   |
| 2        | M.Pharmacy               | 65,450          | 11,550      | 77,000   |
| 3        | D.Pharmacy               | 42,000          | 7,700       | 49,700   |
| 4        | MBBS                     | 5,94,100        | 1,04,800    | 6,98,900 |
| 5        | B.Sc(Nursing)            | 66,300          | 11,700      | 78,000   |
| 6        | Post Basic B.Sc(Nursing) | 40,800          | 7,200       | 48,000   |
| 7        | GNM                      | 38,700          | 6,800       | 45,500   |
| 8        | M.Sc. (Nursing)          | 1,29,500        | 22,900      | 1,52,400 |
| 9        | BDS                      | 1,97,000        | 34,800      | 2,31,800 |
| 10       | MDS                      | 4,63,800        | 81,900      | 5,45,700 |
| 11       | BHMS                     | 80,800          | 14,300      | 95,000   |
| 12       | B.E.                     | 55,250          | 9,750       | 65,000   |
| 13       | M.TECH                   | 56,100          | 9,900       | 66,000   |
| 14       | DIPLOMA-ENGG             | 20,825          | 3,675       | 24,500   |
| 15       | MBA(Full Time)           | 45,750          | 8,250       | 55,000   |


|    |                    |        |        |          |
|----|--------------------|--------|--------|----------|
|    | MBA (Part Time)    | 14 40  | 2 55   | 17 000   |
|    | Ph D               | 1 44 5 | 25 800 | 1 70 000 |
|    | MCA                | 32 30  | 5 700  | 38 000   |
|    | B.ED               | 32 30  | 5 700  | 38 000   |
|    | B.Sc               | 12 750 | 2 250  | 15 000   |
| 21 | M.Sc               | 17 000 | 3 000  | 20 000   |
| 22 | B.Sc (Agriculture) | 52 700 | 9 300  | 62 000   |

1. उपरोक्त शुल्क में पाठ्यक्रम के संचालन से संबन्धित समस्त शुल्क यथा- रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/वस चार्जस, छात्रावास/ मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संघारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. विकास शुल्क का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा।

3. आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित (projected) वित्तीय आंकड़ों की तुलना ,अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा, अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहां से की गई स्पष्ट करना होगी, यदि लागतें कम हुई तो वसुली गई अधिक फीस छात्रों को वापस करनी होगी।

(चयरमैन द्वारा अनुमोदित)

  
सचिव 24/05/16

क्रमांक : 1168...../म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग

दिनांक 20/9/2016

प्रति,

कुलपति  
मालवौचल वि.वि.,104,  
त्रिशुल अपार्टमेंट,  
5 संघी कालोनी,ए.बी. रोड,  
इंदौर

विषय:- वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा।

सन्दर्भ:- आयोग का पत्र क्रमांक 1167 दिनांक 20/9/2016

आयोग के संदर्भित पत्र द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क के विवरण के अन्तर्गत बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में हुई टंकण त्रुटि के कारण अनुमोदित शुल्क निम्नानुसार संशोधित रूप में पढा जावे -

संशोधित शुल्क (रुपये)

| पाठ्यक्रम का नाम | विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क (लाख) | आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क |                         |           |
|------------------|---|--|-------------------------|-----------|
|                  |   | पाठ्यक्रम शुल्क (लाख)                      | विकास शुल्क (15%) (लाख) | योग (लाख) |
| बी.डी.एस.        | 4.00  | 1.9635                                     | 0.3465                  | 2.3100    |

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)





क्रमांक : 1167 / म.प्र.नि.वि.वि. आयोग

दिनांक : 26/9/2016

प्रति,

कुलपति  
मालवांचल वि.वि., 104,  
त्रिशुल अपार्टमेंट,  
5 संघी कालोनी, ए.बी. रोड,  
इंदौर

विषय:- वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 25.02.2016

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्यों/शर्तों के अध्याधीन अनुमोदित की गई. तदानुसार मॉलवांचल विश्वविद्यालय, इंदौर, में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-


विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

| पाठ्यक्रम का नाम | विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क (लाख) | आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क |                         |           |
|------------------|---|--|-------------------------|-----------|
|                  |   | पाठ्यक्रम शुल्क (लाख)                      | विकास शुल्क (15%) (लाख) | योग (लाख) |
| एमबीबीएस         | 10.00                                       | 5.312                                      | .938                    | 6.250     |
| एमडी             | 14.00                                       | 8.415                                      | 1.485                   | 9.900     |
| बी. डी.एस.       | 4.00  | 2.125                                      | 0.375                   | 2.500     |

नोट :- विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम की शुल्क समीक्षा हेतु बी.एस.सी. एम.एस.सी. एवं पी.बी.वी. एस.सी. नर्सिंग हेतु प्रथक प्रथक रूप से शुल्क प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः शुल्क समीक्षा समिति द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम की शुल्क समीक्षा नहीं की गई।

1. उपरोक्त शुल्क के पाठ्यक्रम के संचालन से संबंधित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनमूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. विकास शुल्क का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
3. आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा, अंतर के कारणों का स्पष्ट करते हुए यदि लागते बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करनी होगी, यदि लागते कम हुई तो अधिक वसूली गई अधिक फीस छात्रों को वापस करना होगी।

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

  
सचिव



# मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मध्यप्रदेश शासन  
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 1165 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग

दिनांक 20/9/2016

क प्रति,

दिनांक .....

कुलसचिव,  
पीपुल्स विश्वविद्यालय,  
बायपास रोड़, भानपुर  
भोपाल(म.प्र.)

विषय:- सत्र 2016-2017 के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत शुल्क की समीक्षा।  
संदर्भ:- आपका पत्र क्र. PU/RB/MPPURC/Reg/117 दिनांक 25.01.2016

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव तथा उसमें उल्लेखित तथ्यों/शर्तों के अध्याधीन अनुमोदित की गई। तदनुसार पीपुल्स विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

| पाठ्यक्रम का नाम        | विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क (लाख) | आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क |                   |                 |           |
|-------------------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------|
|                         |   | पाठ्यक्रम शुल्क (लाख)                      | विकास शुल्क (लाख) | (15%) योग (लाख) |           |
| A                       | B   | C  | D                 | E               |           |
| BDS                     | 3,00,000                                    | 2,16,750                                   |                   | 38,250          | 2,55,000  |
| MDS (Clinical)          | 8,00,000                                    | 4,43,700                                   |                   | 78,300          | 5,22,000  |
| MDS (Non- Clinical)     | 6,00,000                                    | 4,14,800                                   |                   | 73,200          | 4,88,000  |
| BBA                     | 21,000                                      | 17,850                                     |                   | 3,150           | 21,000    |
| B.Com Honors            | 21,000                                      | 17,850                                     |                   | 3,150           | 21,000    |
| B.Com                   | 18,000                                      | 15,300                                     |                   | 2,700           | 18,000    |
| MBA/MBA (HA)            | 70,000                                      | 59,500                                     |                   | 10,500          | 70,000    |
| MBBS                    | 15,00,000                                   | 6,16,250                                   |                   | 1,08,750        | 7,25,000  |
| MD/MS Clinical          | 21,00,000                                   | 8,56,800                                   |                   | 1,51,200        | 10,08,000 |
| MD Non Clinical         | 15,00,000                                   | 7,22,500                                   |                   | 1,27,500        | 8,50,000  |
| MSc (Med Bio Chemistry) | 80,000                                      | 44,200                                     |                   | 7,800           | 52,000    |
| MSc (Med microbiology)  | 80,000                                      | 44,200                                     |                   | 7,800           | 52,000    |

Send to above on 20/09/16

Page 1 of 2


|                          |          |          |        |          |
|--------------------------|----------|----------|--------|----------|
| B.Sc (Nursing)           | 54,000   | 45,900   | 8,100  | 54,000   |
| B.Sc (Nursing)           | 81,000   | 68,850   | 12,150 | 81,000   |
| MSc (Nursing)            | 1,06,000 | 90,100   | 15,900 | 1,06,000 |
| GNM (Diploma)            | 64,000   | 54,400   | 9,600  | 64,000   |
| MPT                      | 1,00,000 | 85,000   | 15,000 | 1,00,000 |
| Degree in<br>paramedical | 40,000   | 34,000   | 6,000  | 40,000   |
| Diploma in param.        | 25,000   | 21,250   | 3,750  | 25,000   |
| B.Pharma                 | 60,000   | 50,915   | 8,985  | 59,900   |
| M.Pharma                 | 1,57,500 | 1,33,790 | 23,610 | 1,57,400 |
| B.Tech CS (IBM)          | 1,30,000 | 69,020   | 12,180 | 81,200   |
| BE-Tech                  | 70,000   | 53,550   | 9,450  | 63,000   |
| Diploma                  | 37,000   | 28,050   | 4,950  | 33,000   |
| M-Tech                   | 1,00,000 | 80,665   | 14,235 | 94,900   |
| BBA+IIHA                 | 64,000   | 50,745   | 8,955  | 59,700   |
| MHM                      | 80,000   | 65,280   | 11,520 | 76,800   |
| BHM                      | 61,000   | 47,855   | 8,445  | 56,300   |

1. उपरोक्त शुल्क में पाठ्यक्रम के संचालन से संबंधित समस्त शुल्क यथा- रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मैस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. विकास शुल्क का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा।

3. आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क की समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित (projected) वित्तीय आंकड़ों की तुलना अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा, अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करना होगी, यदि लागतें कम हुई तो वसूली गई अधिक फीस छात्रों को वापस करनी होगी।

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

  
सचिव

क्रमांक : 11.66 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग

दिनांक 20 / 9 / 2016

प्रति,

कुलपति

एल. एन.सी.टी. वि.वि.,

जे.के. हॉस्पिटल केम्पस,

जे.के. टॉवर, सर्वधर्म,

सी सेक्टर, कोलार रोड,

भोपाल

विषय:- वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक LNCTU/2016/99 दिनांक 25.01.2016

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्यों/शर्तों के अध्याधीन अनुमोदित की गई, तदनुसार एल. एन.सी.टी. विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

| पाठ्यक्रम का नाम  | विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क (लाख) | आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क |                         |           |
|-------------------|---|--|-------------------------|-----------|
|                   |   | पाठ्यक्रम शुल्क (लाख)                      | विकास शुल्क (15%) (लाख) | योग (लाख) |
| एमबीबीएस          | 10.00                                       | 5.950                                      | 1.050                   | 7.000     |
| एमडी              | 14.00                                       | 6.630                                      | 1.170                   | 7.800     |
| बी.एस.सी. नर्सिंग | 1.000                                       | 0.553                                      | 0.098                   | 0.650     |
| पी.बी.बी.एस.सी    | 0.510                                       | 0.434                                      | 0.076                   | 0.510     |
| एम.एस.सी. नर्सिंग | 1.500                                       | 1.063                                      | 0.87                    | 1.250     |

1. उपरोक्त शुल्क के पाठ्यक्रम के संचालन से संबन्धित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। यथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनमूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. विकास शुल्क का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
3. आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा, अंतर के कारणों का स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करनी होगी, यदि लागतें कम हुई तो अधिक वसुली गई अधिक फीस छात्रों को वापस करना होगी।

(चेयरमैन द्वारा अनुमोदित)

01/11/19  
सचिव

**SECRETARIAT**

**Admission and Fee Regulatory Committee**

(A statutory body established through an Act of Government of Madhya Pradesh)

**Office: Tagore Hostel No. T-2, Ground Floor-Left Wing, Shyamla Hills,**

**Bhopal – 462002 Phone and Fax No. (0755) – 2660461**

**email: afrcmp@gmail.com, afrcmp@yahoo.com, web site: [www.afrcmp.org](http://www.afrcmp.org)**

No. Sect/AFRC/2017/ 563

Dated : 1/4/17

**ORDER**

**Name of the Institution**

**: As Per Table 'A'**

**Name of Course**

**: PG Diploma  
(Orthopaedics)**


**Fee Structure for students admitted in Academic Sessions: 2017-18 2018-19  
& 2019-20.**

**Hearing Held On**

**: 28.03.2017**


- 1. The Admission and Fee Regulatory Committee (hereinafter referred to as 'AFRC') constituted under Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (hereinafter referred to as 'Act') is empowered to determine fee structure under section 9 of the said Act. Accordingly, it has formulated the policy framework for fee fixation, keeping in view the guiding principles laid down in 'The Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 and Regulations of Fixation of Fee 2008 notified on 15 April 2008 & further amendment on dated 12.09.2013.**
- 2. AFRC has considered 2017-18, 2018-19 & 2019-20 as a three years block for finalizing the fee structure as per the regulations relating to the chargeable fee in private unaided professional Institutions published in M.P. Gazette dated 15<sup>th</sup> April 2008.**
- 3. The Institute has submitted the information pertaining to the fee chargeable from the students of PG Diploma (Orthopaedics) course for the block of 2017-18, 2018-19 & 2019-20 against the notification issued in this regard.**
- 4. As per the provision of the Act, AFRC in the its meeting held on 28.03.2017 after considering the accounts of the institute, demand on infrastructure, the stipend to be paid by them to the students and in the presence of representative of the institute and with his consent the fee chargeable from the students by the institute as per the details submitted by the institute as indicate below in Table-'A'.**

AFRC deliberated on the chargeable fee structure on the basis of accounts, existing fee structure and other norms available in the governing regulations. While reviewing the



chargeable fee structure under section 9 of the Act, all the parameters have been considered. This fee structure shall be applicable for sessions 2017-18, 2018-19 & 2019-20.

6. To have uniformity of the rates as well as to ensure the evenly spread over the charging of depreciation on the useful life of the assets, the rates prescribed in the Schedule XIV of the Companies Act, 1956 have been made applicable. AFRC therefore allowed depreciation as per the provisions of the Companies Act 1956 under the Straight Line Method. For books, a uniform rate of 10% has been prescribed.
7. AFRC has allowed a reasonable surplus for growth and development and for the purpose; institutions are required to maintain separate accounts. Institutions shall not be allowed to incur revenue expenditure from this fund.
8. AFRC decided that a reasonable inflation rate has been considered while awarding chargeable fee.
9. The Institutions shall be under obligation to pay the salaries and allowances to the Faculty as per the norms laid down by the Regulatory Body.
10. Surplus, if any, shall be utilized towards growth and development of the same institutions and would not be diverted to other institutions of its governing trust/ society.
11. Initial cost/interest cost incurred on setting up of initial infrastructure as per Regulatory body norms for getting the approval has not been considered while determining chargeable fees.
12. In the light of above parameters, submitted accounts were scrutinized and at the time of hearing itself the institutions was apprised regarding the frame work the deficiencies in the submitted documentation. Institutions were heard for their future plans for growth and further clarifications/ information relating to incurred expenditures was obtained from them.
13. AFRC is pleased to announce the fee structure for academic sessions 2017-18, 2018-19 & 2019-20 as indicated below in TABLE -'A'. The fee as fixed for academic sessions 2017-18, 2018-19 & 2019-20, shall further be regulated as under:






- i) The determined fee is chargeable for academic sessions 2017-18, 2018-19 & 2019-20, will be applicable to the students seeking admission in the academic sessions 2017-18, 2018-19 & 2019-20. The determined fee however, will remain the same during their respective course tenure.
- ii) The institute is liable to pay the stipend/internship amount to students as per the order no. F2-67/2015/1-15 dated 31.12.2015 issued by Department of Medical Education, Government of M.P.
- iii) The determined fee will be a consolidated fee comprising tuition fee and other miscellaneous fees as provided in the governing regulations and the institutions would not be allowed to charge fee for any other reason or under any other head, not prescribed under this order. If this is violated, the amount so collected shall be considered as charging capitation fee for which legal action as per the provisions of the Act shall be taken.
- iv) The caution money (refundable) will be the same (as indicated in the **TABLE 'A' below**). The provision of the caution money introduced earlier by Justice Dwivedi Committee and amended time to time by Committee. This could be charged only once at the time of admission.
- v) An institution can charge fee from users only for facilities like **transport, hostel & training and placement 'T&P'** (Only for those who are willing to participate in the campus placement organized by the institute and studying in Final year). These facilities are optional on actual cost i.e. no profit no loss basis subject to a reasonable upper cap regulated by AFRC for each activity as given below:

| S.No. | Head                 | Upper Cap                                       |
|-------|----------------------|---|
| 01    | Transportation       | 6000/- per semester                             |
| 02    | Hostel               | 6000/- per semester                             |
| 03    | Training & Placement | 1000/- per semester<br>(in the final year only) |

**These upper caps shall be also applicable to all students admitted from 2016-17 batches onwards.**

- vi) **Penalty for late fees:-** As per existing AFRC norms.



**TABLE - A**

**CHARGEABLE FEE FOR ACADEMIC SESSIONS 2017-18, 2018-19 & 2019-20**

| User Name   | Name of Institute                                    | Course                    | Session | Total Chargeable Fee (Per Year) (Inclusive of Development fee & All other Miscellaneous fee) (Rs.) | Caution Money ((refundable) (One time Payable at the time of admission)) (Rs.) |
|-------------|--|---------------------------|---------|--|--|
| Muser912750 | SHRI AUROBINDO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, INDORE | PG Diploma (Orthopaedics) | 2017-18 | 794000.00  | 25000.00   |
|             |  |                           | 2018-19 | 794000.00  | 25000.00   |
|             |  |                           | 2019-20 | 794000.00  | 25000.00   |

14. Fee regulation is a quasi-judicial process. Any aggrieved person/institute may file appeal within 30 days from issue of AFRC's order, under chapter-V section-10 of the Act 2007 and as amended by Section 10 (1) & (2) of the Act- 2013.
15. This fee structure shall be applicable only when the concerned institution gets due approval from the GOI/MCI/DCI and affiliation from the concerned University for the academic sessions 2017-18, 2018-19 & 2019-20. Institute shall be liable to pay stipend at prevailing rate as prescribed by State Government norms for P.G. students as per MCI rules.
16. If at any stage, it is observed that the institution has submitted some wrong information or deliberately hides some relevant information or some calculation mistake is observed then committee reserves all the rights to revise the declared fee structure or to initiate any other legal action as per the act provisions.

Receipt of this order may be acknowledged.



*N.K. Sharma*  
**(Dr.N.K.Sharma)**  
Officer on Special Duty